शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई–मेल– **registrarsnpv@gmail.com** , वेबसाईट- **https://snpv.ac.in**

क्रमाँक. 6751/E/परीक्षा–गोपनीय/2023 रायगढ़, दिनाँक 17.03.2023

–:: अधिसूचना ::–

स्नातकोत्तर एवं विधि पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों से प्राप्त आवेदन/ज्ञापन के संबंध में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर, विधि, शिक्षा तथा अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु पुर्नमूल्यांकन एवं एटीकेटी संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को पत्र क्रमांक 4289/परीक्षा–गोपनीय/2023, दिनांक 22.02.2023 प्रेषित किया गया जिसके उत्तर में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1309/गोपनीय/2023, दिनांक 06.03.2023 एवं पत्र क्रमांक 678/स्था.प्रशा/2023, दिनांक 13.03.2023 प्राप्त हुए, जिसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक 4270/परीक्षा–गोपनीय/2021, दिनांक 06.10.2021 एवं अधिसूचना क्रमांक 120/अका./2021, दिनांक 02.02.2021 भी प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा गठित रिव्यू कमेटी ने विचारोपरांत अनुशंसाए प्रस्तुत की जिस पर विश्वविद्यालय की विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की द्वितीय (आपात) बैठक दिनांक 03.03.2023 एवं तृतीय (आपात) बैठक दिनांक 13.03.2023 में उपरोक्त प्रकरण के संबंध में लिए गये निर्णयों का विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद् की प्रथम (नियमित) बैठक दिनांक 15.03.2023 में अनुमोदनोंपरांत निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:–

01. सत्र 2022–23 एवं आगामी सत्रों की विधि संकाय की समस्त परीक्षाओं (यथा बी.ए. एल.एल.बी./बी.कॉम. एल.एल.बी./एल.एल.बी. एवं एल.एल.एम.) में पुर्नमूल्यांकन की सुविधा होगी। विधि संकाय के पाठ्यक्रमों में बी.ए. एल.एल.बी./बी.कॉम. एल.एल.बी. एवं एल.एल.बी. की सेमेस्टर परीक्षाओं में केवल एक विषय में एटीकेटी की सुविधा होगी। एल.एल.एम. में एटीकेटी की सुविधा नही होगी।

02. पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्राप्त अध्यादेश क्रमांक 148 के संशोधित प्रावधानों (अधिसूचना क्रमांक 120/अका./2021, दिनांक 02.02.2021) जो कि राज्य शासन एवं माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित है, के प्रावधान शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ पर भी लागू होते है। उक्त प्रावधानों में सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कंडिका 4 में एटीकेटी के प्रावधान उपलब्ध है। इसी की उप कंडिका V में पुर्नमूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध नही होने का उल्लेख है तथापि पुर्नगणना (Retotaling) का प्रावधान है अतः सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पुर्नमूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध नही होगी तथापि पुर्नगणना (Retotaling) की सुविधा होगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव (प्रभारी)

पृ.क्रं. 6752/E/परीक्षा–गोपनीय/2023 रायगढ़, दिनांक 17.03.2023

प्रतिलिपिः–

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सी–30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
06. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ ।
08. प्रभारी अधिकारी/कक्ष प्रभारी, (परीक्षा–गोपनीय) को सूचनार्थ।
09. विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल में अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव (प्रभारी)